वर्तमान समय में समावेषी षिक्षा की आवष्यकता एवं महत्त्व

सार–संक्षेप
स्वतंत्रता प्राप्ति के 71 वर्ष बीत जाने के बाद भी विकलांग बच्चे विकास की मुख्यधारा से अलग–अलग दिखाई पड़ते हैं। सरकारी एवं गैर सरकारी स्तर पर उनके विकास के लिए किए जाने वाले अनेकानेक प्रयत्नों के बावजूद विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की स्थिति में कोई विशेष सुधार नहीं आया है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की अधिकांश आबादी आज भी समाज की मुख्यधारा से जुड़ नहीं पायी है। विकास के एक मुख्य मापदंड के रूप में शिक्षा के महत्त्व को देखते हुए यह आवश्यक है कि दिव्यांग बालकों की शिक्षा व्यवस्था पर ध्यान दिया जाए। जिससे विकलांग बालक अपने आपको समाज का एक कटा हुआ भाग न समझ कर समाज का हिस्सा ही समझे और यह केवल समावेषी षिक्षा के माध्यम से ही संभव है।

शब्दावलीः समावेशी शिक्षा, साक्षरता दर, विकलांगता, समावेशी शिक्षा की आवश्यकता, चुनौतियाँ।

प्रस्तावना
शिक्षा का संबंध मनुष्य की संज्ञानात्मक, भावनात्मक, एवं सामाजिकता के गुणों के उन्नयन से है। जीवन में शिक्षा की इतनी अधिक उपयोगिता है कि कहा गया है "बिना शिक्षा व ज्ञान के मनुष्य पशु के समान है।" (निरुपमा, 2010) वर्तमान समय में सामान्य शिक्षा के साथ–साथ समावेशी शिक्षा पर अत्यधिक जोर दिया जा रहा है। समावेशी शिक्षा, शिक्षण की ऐसी प्रणाली है जिसमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ मुख्यधारा के स्कूलों में पठन–पाठन और आत्मनिर्भर बनने का मौका मिलता है जिससे वे समाज की मुख्यधारा में शामिल हो सकें। इसके तहत स्कूलों में पठन–पाठन के अलावा दिव्यांग बच्चों के लिए बाधारहित वातावरण का निर्माण कार्य भी शामिल है। शिक्षण की इस नवीन प्रणाली से हाशिये पर के वे बच्चे लाभान्वित होते हैं जिन्हें अपनी दिनचर्या से लेकर पढ़ाई पूरी करने तक विशेष देखभाल की आवश्यकता पड़ती है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे सामान्यतः दृष्टि, श्रवण एवं अधिगम अक्षमता के साथ–साथ मानसिक मंदता और बधिरंधता से ग्रस्त होते हैं। इन्हें सामान्य बच्चों के साथ समायोजित होने में काफी कठिनाई होती है। माता–पिता या अभिभावकों की सोच भी इन बच्चों के प्रति सकारात्मक नहीं होती है, जिसके कारण वे अपने आपको समाज से कटा महसूस करते हैं। परिणामस्वरुप वे स्कूली शिक्षा से बाहर ही रह जाते हैं। समाज में ऐसे बच्चों की आबादी 5 से 10 फीसदी है। इसलिए ऐसे बच्चों का शिक्षा में समावेशन किया जाना अति आवश्यक है। (संजीव, 2008)

समावेशी शिक्षा में उन सभी तथ्यों को सम्मिलित किया जाता है जो विशिष्ट बालकों पर लागू होते हैं अर्थात समावेशी शिक्षा शारीरिक, मानसिक, प्रतिभाशाली तथा विशिष्ट गुणों से युक्त विभिन्न बालकों पर अपनायी जाती है। यह एक ऐसी शिक्षा पद्धति है जो यह तय करती है कि प्रत्येक छात्र को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले और इसमें उनकी योग्यता, शारीरिक–अक्षमता, भाषा–संस्कृति, पारिवारिक पृष्ठभूमि तथा उम्र किसी प्रकार का अवरोध पैदा न कर सके। (भार्गव, 2016) आज ब्रिटेन तथा अमेरिका जैसे कुछ विकसित देशों में इस प्रकार की शिक्षण संस्थाएँ आवासीय विद्यालयों के रूप में कार्यरत हैं, लेकिन हमारा देश भारत विकासशील होते हुए भी इस प्रकार की संस्थाओं से अभावग्रस्त है।
कोठारी आयोग (भारत का प्रथम शिक्षा आयोग) के मुताबिक 'एक दिव्यांग बच्चे के लिए शिक्षा का पहला कार्य यह है कि सामान्य बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बनाए गए सामाजिक–सांस्कृतिक पर्यावरण में समंजन के लिए उसे तैयार करें। इसलिए आवश्यक है कि दिव्यांग बच्चों की शिक्षा सामान्य शिक्षा प्रणाली का ही एक अविछिन्न अंग हो, अंतर केवल बच्चे को पढ़ाने की विधि और बच्चे द्वारा ज्ञान प्राप्ति के लिए अपनाए गए साधनों में होगा।' इस क्षेत्र में ऐसा बहुत कुछ है जिसे हम शिक्षा में उन्नत देशों से सीख सकते हैं (कोठारी आयोग 1964–66 : 123)।

1974 में भारत सरकार ने "निशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा" योजना का प्रारंभ किया। केंद्र प्रायोजित इस योजना के तहत दिव्यांग बच्चों को मुख्यधारा के विद्यालयों में, उनके गैर–दिव्यांग मित्रों के साथ शिक्षा दी जाने लगी। निःशक्त व्यक्ति अधिनियम (1995) के अध्याय 5 की धारा 26 के अंतर्गत निःशक्त बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा सुनिश्चित की जाने की बात कही गयी है। इस अधिनियम के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं– सरकार और स्थानीय प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक निःशक्त बालक को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक उचित वातावरण में निःशुल्क शिक्षा प्राप्त हो सके। सरकार द्वारा निःशक्त विद्यार्थियों का सामान्य विद्यालयों में एकीकरण, संवर्धन एवं विशेष विद्यालयों को व्यावसायिक प्रशिक्षण सुविधाओं से सज्जित करने का प्रयास किया जायेगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने वर्ष 2020 तक देश के सभी स्कूल दिव्यांग–मित्रवत बना दिए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। (संजीव, 2008).

विशेष आवश्यकता वाले बालकों की जनसंख्या एवं शैक्षिक आंकड़ें :
2011 की जनगणना के अनुसार कुल 121.08 करोड़ जनसंख्या में से दिव्यांग की जनसंख्या 2.68 करोड (2.21 प्रतिशत) है। जिसमें पुरुष दिव्यांगों की संख्या 1.5 करोड़ तथा महिला विकलांगों की संख्या 1.18 करोड़ है।
भारत में जहाँ कुल शिक्षित दिव्यांग विद्यार्थियों की संख्या 14618353 है वहीं अशिक्षित दिव्यांगों की संख्या 12196641 है, अर्थात केवल 54.52 प्रतिशत ही दिव्यांग विद्यार्थी शिक्षित हैं, जबकि आज भी अशिक्षित दिव्यांगों की संख्या 45 प्रतिशत से अधिक है।
वर्ष 2015–16 के नवीनतम आंकड़ों से यह पता चलता है कि विभिन्न प्रकार के दिव्यांग विद्यार्थियों में सबसे अधिक मानसिक रूप से दिव्यांग विद्यार्थी पाए जाते हैं, जिनका प्रतिशत 22.01 है और सबसे कम आत्म–केन्द्रीत प्रकार के दिव्यांग छात्र पाए जाते हैं जिनका प्रतिशत 1 से भी कम है।
2011 के जनसंख्या के अनुसार जहाँ शहरी दिव्यांग पुरुष में 72 प्रतिशत शिक्षित हैं वही ग्रामीण दिव्यांगों की साक्षरता केवल 58 प्रतिशत है। यदि दिव्यांग लड़कियों की साक्षरता की बात की जाए तो जहां शहरी दिव्यांग महिलायें 61 प्रतिशत शिक्षित हैं वहीं ग्रामीण विकलांग महिलायें 37 प्रतिशत ही शिक्षित हैं। यदि अशिक्षित विकलांग पुरुषों की तुलना की जाए तो 42 प्रतिशत ग्रामीण दिव्यांग पुरुष अशिक्षित हैं जबकि 28 प्रतिशत शहरी पुरुष अशिक्षित हैं। यदि दिव्यांग अशिक्षित महिलाओं की तुलना की जाये तो 39 प्रतिशत शहरी एवं 63 प्रतिशत ग्रामीण दिव्यांग महिलायें अशिक्षित हैं।
भारत में कुल 26814994 दिव्यांग विद्यार्थियों में से 146118353 शिक्षित हैं जबकि 12196641 अशिक्षित हैं। यदि दिव्यांग लड़कों की बात की जाये तो 9348353 शिक्षित हैं जबकि 5640240 अशिक्षित हैं। दिव्यांग लड़कियों की साक्षरता की बात की जाये तो 5270000 शिक्षित हैं तथा 6556401 अशिक्षित हैं।

समावेशी शिक्षा की आवश्यकता
दिव्यांग बालक अपने आपको दूसरे बालकों की अपेक्षा कमजोर तथा हीन समझते हैं, जिसके कारण उनके साथ पृथकता से व्यवहार किया जाता है। समावेशी शिक्षा व्यवस्था में दिव्यांगों को सामान्य बालकों के साथ मानसिक रुप से प्रगति करने के अवसर प्रदान किए जाते हैं जिससे प्रत्येक बालक यह सोचता है कि वह किसी भी प्रकार से किसी अन्य बच्चे से कमजोर नहीं हैं। इस प्रकार समावेशी शिक्षा पद्धति बालकों की सामान्य मानसिक प्रगति को अग्रसर करती है।

दिव्यांग बालकों में कुछ सामाजिक गुण बहुत संगत होते हैं। जब वे सामान्य बालकों के साथ शिक्षा प्राप्त करते हैं तो वे सामाजिक गुणों को अन्य बालकों के साथ ग्रहण करते हैं। उनमें सामाजिक, नैतिक गुणों, प्रेम, सहानुभूति, आपसी सहयोग, आदि गुणों का विकास होता है। निःसंदेह विशिष्ट शिक्षा अधिक महंगी एवं खर्चीली है, इसके अलावा विशिष्ट अध्यापक एवं शिक्षाविदों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी अधिक समय लेते हैं जबकि दूसरी तरफ समावेशी शिक्षा कम खर्चीली तथा लाभदायक है। विशिष्ट शिक्षा संस्था को बनाने तथा शिक्षण कार्य को प्रारंभ करने के लिए अन्य बड़े स्रोतों से भी सहायता लेनी पड़ती है जैसे– प्रशिक्षित अध्यापक, विशेषज्ञ, चिकित्सक आदि। विकलांग बालक की सामान्य कक्षा में शिक्षा पर कम खर्च आता है।

विशिष्ट शिक्षा व्यवस्था की अपेक्षा समावेशी शिक्षा व्यवस्था में सामाजिक विचार विमर्श अधिक किए जाते हैं। दिव्यांग तथा सामान्य बालक में सामान्य शिक्षा के अंतर्गत एक प्राकृतिक वातावरण बनाया जाता है। इस वातावरण में अपने सहपाठियों से सीखना, स्वीकार करना तथा स्वयं को दूसरों द्वारा स्वीकार कराया जाना समावेशी शिक्षा द्वारा ही संभव है। सामान्य वातावरण में छात्र उपयुक्तता की भावना तथा भावनात्मक समायोजन का विकास होता है। शैक्षिक योग्यता सामान्यतया समावेशी शिक्षा के वातावरण द्वारा संभव है। एक प्रकार से कहा जा सकता है कि लचीले वातावरण तथा आधुनिक पाठ्यक्रम के साथ समावेशी शिक्षा शैक्षिक एकीकरण लाती है। भारत में सामान्य शिक्षा के व्यापक रूप से विस्तार की संवैधानिक व्यवस्था की गई है और साथ ही साथ शारीरिक रूप से बाधित बालकों के लिए शिक्षा को व्यापक रूप देना भी संविधान के अंतर्गत दिया गया है। समावेशी शिक्षा के वातावरण के माध्यम से समानता

के उद्देश्य की प्राप्ति की जानी चाहिए जिससे कोई भी छात्र अपने आप को दूसरों की अपेक्षा हीन न समझे। उपरोक्त तथ्यों से यह बात उभरकर सामने आता है कि वर्तमान समय में समावेशी शिक्षा समस्त बालकों के लिए अत्यंत आवश्यक है।

समावेशी शिक्षा की प्रमुख चुनौतियाँ

किसी बालक को शिक्षा प्रदान करने से पहले उसके व्यक्तित्व को समझना आवश्यक है, समावेशी शिक्षा में बालकों के लिए तो यह अत्यंत आवश्यक हो जाता है क्योंकि विशिष्ट बालक की विशेषताएँ, साधारण बालकों की तुलना में अधिक तीव्र व विचित्र होती है। कुछ देशों में कक्षा का बड़ा आकार एवं छात्र–शिक्षक अनुपात का कम होना सभी छात्रों एवं शिक्षकों के लिए समस्या है, और एक कक्षा में अत्यधिक विविधता भी शिक्षकों के उत्साह को कम कर देता है। यह उस स्थिति में अत्यधिक सत्य प्रतीत होता है जब कक्षा में 100 या उससे अधिक छात्र हो जाते हैं। कुछ नकारात्मक प्रवृत्ति के शिक्षक जब हताशा में अप्रासंगिक शिक्षण विधियों का उपयोग करते हैं तो यह समावेशी शिक्षा के लिए एक चुनौती बन जाती है। कुछ मामलों में छात्रों को उनकी क्षमता के अनुसार सीखने के लिए प्रोत्साहित न करना उन्हें 'मंद अधिगम' की ओर ले जाता है। सबसे खराब स्थिति तब हो जाती है जब शिक्षकों द्वारा छात्रों को दण्डित किया जाता है। इस तरह के व्यवहार से दिव्यांग बच्चे हाशिये पर जा सकते हैं। देश में शिक्षा व्यवस्था के लिए शिक्षा मंत्रालय भी जिम्मेदार है जो शिक्षकों की भर्ती, वित्तपोषण एवं संरचना में सुधार के अभियान में महती भूमिका निभाता है।

कई बच्चे स्कूल जाने के लिए लंबी दूरी तय करते हैं, पर्याप्त परिवहन की कमी, मुश्किल इलाके, खराब सड़कें और परिवारों के लिए संबद्ध लागत दिव्यांग लड़के और लड़कियों की शिक्षा के लिए समस्या उत्पन्न करते हैं। लड़कियों के लिए स्कूल की यात्रा करते समय उनकी सुरक्षा के डर के कारण यदि उनके माता–पिता उन्हें घर पर बैठा देते हैं तो वे शिक्षा से बहिष्कृत हो जाती हैं। माता–पिता एवं छोटे भाई–बहनों की देखभाल के लिए भी कुछ छात्राओं की पढ़ाई नहीं हो पाती है। स्कूल में शौचालय तक दिव्यांग बच्चों के पहुँच का अभाव भी एक प्रमुख बाधा है। यदि कोई बालक स्कूल में सभी दिन शौचालय का उपयोग नहीं कर सकता है तो उसके उपस्थित होने की संभावना कम ही है। यहां तक कि अगर शौचालयों को उनके लिए सुलभ बनाने के लिए अनुकूलित किया गया हो तो उसे बनाए रखा जाना चाहिए। कुछ ऐसे मामलों में जहां स्कूलों में शौचालय को दिव्यांगों के लिए अनुकूलित नहीं किया जाता है वे स्कूल दिव्यांग लड़के व लडकियों को न रखने के बहाने के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। वे यह भी कहते हैं कि कोई भी सहायक स्टॉफ नहीं है जो बच्चों को वाथरूम तक ले जा सकते हैं। इसके अलावा समावेशी शिक्षा में पानी व स्वच्छता संबंधी समस्याओं को भी शामिल किया जा सकता है।

सुझाव

1. इन बालकों के माता–पिता व शिक्षक उनकी समस्याओं को इस रूप में समझे कि वे भी ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें सभी के समान आदर, सम्मान, विश्वास, स्नेह और सुरक्षा की आवश्यकता है।
2. समावेशी बालकों के व्यक्तित्व के विषय में पूर्ण जानकारी एवं समझ, शिक्षकों के लिए समावेशी बालकों के शिक्षण प्रशिक्षण की प्रक्रिया को सरल बना देगी।
3. समावेशी बालकों को भी सामान्य बालकों के समान औपचारिक शिक्षा की आवश्यकता होती है। उनके लिए ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि उन्हें कम से कम पढ़ने, लिखने और साधारण गणित का ज्ञान हो जाए।
4. आधुनिक शैक्षिक तकनीकों ने ऐसी विधियों, तकनीकों एवं उपकरणों का आविष्कार किया है जिनकी सहायता से दिव्यांग बच्चों को औपचारिक शिक्षा दी जा सकती है। अतः दिव्यांग बालकों के लिए उचित शैक्षिक तकनीकों की व्यवस्था की जानी चाहिए।
5. समावेशी बालकों के शिक्षा का स्तर उनके शारीरिक एवं मानसिक स्तर के अनुरूप होना चाहिए।
6. स्कूल में अति समावेशी वातावरण की नहीं बल्कि समावेशी प्रशिक्षित शिक्षक की नितांत आवश्यकता है। अतः इस कमी को पूरा किया जाना चाहिए।
7. समावेशी बालकों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण भी आवश्यक है किंतु यह समावेशी शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य नहीं होना चाहिए। दिव्यांग बालकों को रोजगारपरक काम–धंधों में प्रशिक्षित करने की व्यवस्था होनी चाहिए ।
8. समावेशी शिक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिये वर्तमान समय में ऐसी व्यवस्था हो जिससे घर से स्कूलों तक आसानी से पहुँचा जा सके।
9. कक्षा का बड़ा आकार एवं छात्र–शिक्षक अनुपात का कम होना एक बड़ी समस्या है, अतः हमें विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है।
10. विद्यालय में शौचालयों तक पहुंच समस्त विद्यार्थियों के लिये आसानी से सुलभ होना चाहिए।

निष्कर्ष

वर्तमान समय में विश्व के समस्त देश अपनी भावी पीढ़ी के सर्वांगीण विकास के लिए अनेकानेक प्रयत्न कर रहे हैं। समाज के विभिन्न तबकों के समुचित विकास के लिए विभिन्न शैक्षिक आर्थिक योजनाओं के साथ बहुलतायुक्त समाज की विशिष्टताओं को ध्यान में रखते हुए वर्तमान समय में समावेशी शिक्षा की तरफ गंभीरता से ध्यान दिया जा रहा है। ऐसे में यह एक महत्त्वपूर्ण सामाजिक उत्तरदायित्व भी है कि हाशिए पर पड़े हुए उन बच्चों की शिक्षा की तरफ ध्यान दिया जाए जो किन्हीं कारणों से शिक्षा से वंचित हैं। इसमें दिव्यांग बालकों की संख्या अत्यधिक है। अतः वर्तमान समय में उनके लिए समावेशी शिक्षा की बात विश्व समुदाय कर रहा है, जो दिव्यांग एवं सामान्य दोनों ही बालकों के लिए अत्यधिक उपयोगी है। जरुरत है तो बस उनकी शिक्षा के संबंध में तथ्यपरक जानकारी एकत्रित की जाए, उनकी परिस्थितियों के यथार्थ का व्यावहारिक आकलन करते हुए उचित नीतियाँ बनायी जाए, जिससे कि उनके जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डाला जा सके और शिक्षा से दूर उन समस्त बच्चों को उचित शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था करते हुए उन्हें नई दिशा दी जाए। जब हम कहते हैं कि सभी बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम इन बच्चों को अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराएँ और उन्हें देश तथा समाज में अपनी सकारात्मक भूमिका निभाने के लिए तैयार करे। आज भी विशेष आवश्यकता वाले बालकों की शैक्षिक उपलब्धि संबंधी स्थिति चिंताजनक है। आँकड़े बताते हैं कि आज भी दिव्यांग लोगों की आधी आबादी शिक्षा से दूर है। समाज के सभी हितधारकों के लिए आवश्यक है कि समाज के इस वर्ग के अस्तित्व की महत्ता को उचित स्थान दें। उनके शैक्षिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास के लिए अपेक्षित कदम उठाये जाने चाहिए और उनके इस कार्य में समावेशी शिक्षा ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

संदर्भ :

कोठारी आयोग प्रतिवेदन, 1964–66 : 123
निरुपमा (2010) : नारी : शिक्षा साधन और स्वास्थ्य, अनुपम प्रकाशन, नई दिल्ली
कुमार, संजीव (2008) : विशिष्ट शिक्षा (प्रथम संस्करण), जानकी प्रकाशन, नई दिल्ली
राजश्री, भार्गव (2016) : समावेशी शिक्षा, राजश्री प्रकाशन, आगरा